अध्याय IX : खनन मंत्रालय

भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर

9.1 रॉक ड्रिलिंग रिग के उपयोग न होने के कारण हुआ निष्फल व्यय

उत्तर पूर्वी राज्यों के अवसंरचनात्मक विकास की सहायता के लिए केन्द्र सरकर द्वारा घोषित उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 20 मार्च 2006 तक उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल, को परेषिती द्वारा मैसर्ज के.एल.आर. इंडिस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (आपूर्तिकर्ता) को उनके सबसे कम उद्धृत दर को स्वीकार करते हुए ₹ 58.16 लाख की लागत पर एक रॉक ड्रिलिंग रिग (बड़ा आकार) की आपूर्ति हेतु भारतीय खनन ब्यूरो (भा.ख.ब्यू.) नागपुर ने आदेश दिया (फरवरी 2006)।

रॉक ड्रिलिंग रिग (बड़ा आकार) का अंत में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, दक्षिण क्षेत्र, हैदराबाद, तथा भारतीय खनन ब्यूरो (भा.ख.ब्यू.) हैदराबाद द्वारा 22 मई 2006 को आपूर्तिकर्ता परिसर में निरीक्षण किया गया था तथा परेषिती को प्रेषित कर दिया गया था और उसे 26 जून 2006 को उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल को प्राप्त हुआ बतलाया गया था।

आपूर्तिकर्ता ने परेषिती से 'रिग' के संस्थापन एवं उसे चालू करने के लिए सुविधाजनक तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया था तथा भा.ख.ब्यू. नागपुर ने उद्योग निदेशालय, मिजोरम को सूचित किया (19 जुलाई 2006) कि वह आपूर्तिकर्ता से रिग के संस्थापन एवं चालू करवाए और उसकी रिपोर्ट को भा.ख.ब्यू. नागपुर को प्रस्तुत करे। हालांकि, उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल ने भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर को सूचित किया कि आपूर्ति किया गया रिग स्थानांतरण समस्याओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं था तथा उन्हें ड्रिलिंग मशीन को खड़ा करने हेतु ट्रक चेसिस की आवश्यकता थी, तथा जब तक उनके प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जाता तथा निष्पादित नहीं किया जाता, तब तक आपूर्ति किए गए रिग को चालू करना तथा भा.ख.ब्यू. को सूचना/रिपोर्ट भेजना अनुचित होता। हालांकि, इस पहलू को ठीक से निपटाया नहीं गया था तथा फाइल को केन्द्रीय भंडार द्वारा रखा नहीं गया था, जैसा कि भा.ख.ब्यू. द्वारा नोट किया गया था।

उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल (27 सितम्बर 2006) द्वारा ट्रक चेसिस की आवश्यकता एवं रिग की अनुपयुक्तता की सूचना की तिथि से छह

वर्षों से अधिक बीत जाने के पश्चात् केवल 29 फरवरी 2012 को भा.ख.ब्यू. द्वारा रिग के संस्थापन/चालू करने का मामला आपूर्तिकर्ता के साथ उठाया था। आपूर्तिकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तथा आज तक (अक्तूबर 2012) आपूर्ति किया गया उपकरण कार्यालय उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल में व्यर्थ पड़ा हुआ था।

बोलीकर्ताओं के लिए निर्देश और निविदा प्रस्तुत करने के नियम व शर्तें जो निविदा दस्तावेज का भाग थीं, में यह निर्दिष्ट था कि "मद की अच्छी हालत में प्राप्ति और प्रेषिती द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर उनके अधिष्ठापन/चालू करने और प्रशिक्षण के बाद रसीद सहित बिल के प्रति 30 दिनों के भीतर 100% भुगतान किया जाएगा"। तथापि यह पाया गया कि निविदा में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्ता के परिसर में उपकरणो के संयुक्त निरीक्षण (22 मई 2006), आपूर्तिकर्ता को भा.ख.ब्यू., नागपुर द्वारा प्रेषण निर्देश जारी करने (23 मई 2006) और प्रेषिती के परिसर में उपकरण की वास्तविक प्राप्ति (26 जून 2006) से पूर्व ही उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल से प्राप्त उपकरण की प्राप्ति संबंधी पावती के प्रति (9 मार्च 2006) एक प्रारूप बीजक पर आपूर्तिकर्ता को पूर्ण और अंतिम भुगतान (₹ 58.16 लाख) कर दिया गया (17 मार्च 2006)।

इस प्रकार पहाड़ी भूभाग के लिए अनुपयुक्त उपकरण का चयन करने और समय पर आवश्यक कार्यवाही न करने से उपकरण पिछले छः वर्ष से अप्रयुक्त पड़ा रहा। भुगतान के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करने से ठेकेदार अप्रवर्तनीय हो गया। परिणामस्वरूप प्रापण पर किया गया व्यय (₹ 58.16 लाख) निष्फल रहा और उत्तर-पूर्वी प्रदेशों हेतु सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रापण का विचारित उद्देश्य निष्फल सिद्ध हुआ। उत्तर में भा.ख.ब्यू. नागपुर (दिसम्बर 2012) ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करते हुए यह बताया कि यह मामला प्रमुख सतर्कता अधिकारी, भा.ख.ब्यू. को भेजा गया है और निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

मामला जनवरी 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतिक्षित है।